न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 56/2015/अपील

भगवानाराम पुत्र खांगाराम, जाति कुमावत, निवासी दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील व जिला –सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री प्रवीण कुमार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 29.09.2015 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 01 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.08.2015 लिखकर जांच रिपोर्ट 09.08.2015 तक चाही थी, जो कि पत्रावली में प्राप्त नहीं हुई, इस प्रकार अधूरी जांच व प्रकिया पूर्ण किये बिना पारित किया गया आदेश कानून विरूद्व है।

(2) अपीलान्ट के पास ना तो कोई कृषि भूमि है ना ही वर्तमान भूखण्ड के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड है। अपीलान्ट इस भूखण्ड पर गत 32–33 वर्षों से मय आवास व निवास निर्बाध रूप से करता आ रहा है, जिसमें बने मकानात में अपीलान्ट के पुत्र के नाम से विद्युत व जल के सरकारी कनेक्शन भी स्थापित है।

(3) अपीलान्ट के अतिरिक्त उक्त विवादित आराजी में सैकड़ों की संख्या में आबादी बसी हुई है, जिन्हें अधीनस्थ तहसीलदार सीकर द्वारा ना तो कोई नोटिस दिया गया तथा ना ही उनके विरूद्व अतिक्रमण सम्बन्धी कानूनी कार्यवाही अमल में ली गई है। अपीलान्ट के विरूद्व राजनैतिक द्वैषता के आधार पर उक्त कार्यवाही गलत रूप से की गई है।

(4) अपीलान्ट का कब्जा मौके पर कदीमी है तथा अपीलान्ट साधिकारी भूमि पर काबिज होकर रिहायश कर रहा है। जल विद्युत प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को रिहायश हेतु भूमि

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

आवंटित की जाती है वहीं दूसरी तरफ अपीलान्ट के पास रिहायश के लिए अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होते हुए भी उसके विरूद्व राजनीति से प्रेरित होकर गलत तथ्यों पर बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर बेदखली का आदेश पारित किया गया।

(5) विवादित आराजी जिस जगह है। उक्त जगह जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत 2070–73 ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का कटराथल तहसील व जिला सीकर में कई जगह आबादी भूमि दर्शित की गई है। इस प्रकार स्थिति का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवलोकन नहीं कर मनमाने तौर पर आज्ञा पारित की गई है।

(6) अपीलान्ट को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल किया गया तो उसके रिहायश करने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए न्यायाहित में अपीलान्ट के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट के पास पास ना तो कोई कृषि भूमि है ना ही वर्तमान भूखण्ड के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड है। अपीलान्ट इस भूखण्ड पर गत 32–33 वर्षों से मय आवास व निवास निर्बाध रूप से करता आ रहा है, जिसमें बने मकानात में अपीलान्ट के पुत्र के नाम से विद्युत व जल के सरकारी कनेक्शन भी स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को रिहायश हेतु भूमि आवंटित की जाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2015 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) पटवारी ग्राम दौलतपुरा तन कटराथल की रिपोर्ट दिनांक 07.07.2015 ग्राम दौलतपुरा के अनुसार **खसरा नम्बर 1283/393 रकबा 28.33 हैक्टेयर में से रकबा 0.0244 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जोहड़** पर अपीलांट द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत पत्र दिनांक **31.07.2015** द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलन्ट की ओर से दिनांक **14.08.2015** को नोटिस का जवाब पेश किया गया है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अपनी बात के पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया।

(3) न्यायालय नायब तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 29.09.2015 के अनुसार ग्राम दौलतपुरा **खसरा नम्बर 1283/393 रकबा 28.33 हैक्टेयर में से रकबा 0.0244 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जोहड़** से बेदखल किया जाकर लगान का 50 गुना 6 रूपया वसूली का आदेश दिया गया है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चरागाह भूमियों/जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों कों अवैध माना है।

(5) तहसीलदार सीकर की जांच रिपोर्ट दिनांक **03.10.2018** के मुताबिक ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन चारागाह भूमि पर पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं था।

6. उपरोक्त पैरा संख्या 5 के विवेचन के आधार पर पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दौलतपुरा **खसरा नम्बर 1283/393 रकबा 28.33 हैक्टेयर में से रकबा 0.0244 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जोहड़** पर अपीलांट द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन जोहड़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक **29.09.2015** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक :**01 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner